Dr.Uttam Kumar
SRAP College,Barachakia
Mob no-8210561032

Faculty -Commerce
Subject -Business Organisation
Class -2nd Semester
Session-2023-27

साझेदारी के अवगुण अथवा दोष
(DEMERITS OR DISADVANTAGES OF PARTNERSHIP)

जहाँ एक ओर साझेदारी के अनेक गुण है, वहाँ दूसरी ओर इसके कई अवगुण भी हैं। इनका अध्ययन निम्न के अन्तर्गत किया जा सकता है—

(I) वैधानिक अवगुण अथवा दोष (Statutory Demerits or Disadvantages)

(1) **जीवन एवं अस्तित्व का अनिश्चित होना** (Indefinite Life and Existence)—साझेदारी का जीवन रहता है तथा इसमें स्थायित्व का पूर्ण रूप से अभाव होता है। किसी साझेदार की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन अवकाश ग्रहण करने से साझेदारी की समाप्ति हो जाती है। इसका मुख्य कारण साझेदारी और साझेदारों का पृथक् अस्तित्व न होना है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि "साझेदारियों का अधिक समय तक चलना कठिन है।"

(2) **हित हस्तान्तरण में कठिनाई** (Difficulty in Transfer of Interest)—साझेदारी में कोई भी साझेदार किसी सभी साझेदारों की सहमति के अपना हित अथवा भाग का हस्तान्तरण नहीं कर सकता है और न उसे बाजार में बेच सकता है। इस असुविधा के कारण लोग इसमें रुपया लगाना पसन्द नहीं करते। संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी में हित का हस्तान्तरण सुविधापूर्वक किया जा सकता है।

(3) **साझेदारी की समाप्ति पर एवं बाद में भी दायित्व** (Dissolution of Partnership and Liability afterwards)—साझेदारी में प्रत्येक साझेदार फर्म की समाप्ति पर भी उसकी साझेदारी की अवस्था में किये गये सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी रहता है। इतना ही नहीं अपितु समाप्ति की जन-सूचना (Public Notice) यदि वह जनता को नहीं देता समाप्ति के बाद भी उसका दायित्व वही रहता है जो साझेदार होने की अवस्था में था। यह भी इसकी एक मुख्य कमी है।

(II) आर्थिक अवगुण अथवा दोष (Economic Demerits or Disadvantages)

(1) **पूँजी का सीमित साधन** (Limited Sources of Capital)—साझेदारों की संख्या सीमित होने के कारण पूँजी की मात्रा भी सीमित रहती है। यद्यपि इनके साधन एकाकी व्यापारी की अपेक्षा अधिक होते हैं परन्तु अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की अपेक्षा (जैसे—कम्पनी) साधन सीमित होते हैं।

(2) **साख की सीमितता** (Limited Goodwill)—साझेदारों की संख्या एवं पूँजी की सीमितता के कारण इन संस्थाओं की साख कम्पनी के मुकाबले में कम होती है। अत: उन्हें इतना अधिक ऋण नहीं मिल पाता जितना कि अन्य संस्थाओं (जैसे—कम्पनी) को। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के वार्षिक हिसाब-किताब की जाँच होती रहती है और उसका प्रकाशन करना पड़ता है। साझेदारी संस्था में ऐसा नहीं होता। यह भी साख सीमितता का प्रमुख कारण है।

(3) **अपव्यय** (More Expenses)—एकाकी व्यापार की तुलना में साझेदारी में अधिक अपव्यय होने की सम्भावना रहती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक साझेदार इस बात को जानता है कि खर्च का एक आंशिक भाग ही उन्हें वहन करना पड़ेगा जबकि इस व्यय से अन्य संस्थाओं पर आसानी से अपना प्रभुत्व जमाया जा सकता है। धार्मिक संस्थाओं को बड़ी-बड़ी धनराशियाँ दान दिलाकर 'दानवीर' कहलाया जा सकता है। इस प्रकार साझेदारी संस्था में व्यय के सम्बन्ध में यह कहावत चरितार्थ होती है—"मुफ्त का चन्दन, घिस रघुनन्दन, गहरे तिलक लगा बाबा।"

(III) प्रबन्धकीय अवगुण अथवा दोष (Managerial Demerits or Disadvantages)

(1) **सदैव संघर्ष और मतभेद की सम्भावना** (Friction and Conflict)—यह कहावत कि "जहाँ चार बर्तन होंगे हैं, खटकते हैं", साझेदारी पर पूर्ण रूप से लागू होती है। यही कारण है कि साझेदारी में सदैव साझेदारों के मध्य संघर्ष और मतभेद की सम्भावना बनी रहती है। कभी-कभी ये मतभेद भयंकर रूप धारण कर लेते हैं और आपस में तीव्र संघर्ष का कारण बनते हैं। फिर जैसी कि कहावत भी है—"साझे की हँडिया चौराहे पर फूटती है।" **हैने** के शब्दों में, "इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है संगठित संचालन की कमी और सबसे बड़ी समस्या है कि संचालन में सबके हितों में सामंजस्य पैदा करना।"

(2) **असीमित उत्तरदायित्व के दोषों का होना** (Unlimited Liability Demerits)—साझेदारी का एक प्रमुख दोष इसके सदस्यों के असीमित उत्तरदायित्व का होना है। व्यवसाय असफल होने की दशा में समस्त साझेदारों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि साझेदारों को न केवल अपने व्यवसाय में विनियोजित पूँजी से हाथ धोना पड़ता है बल्कि अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी खोना पड़ता है। इसके कारण साझेदारों का साहस कम हो जाता है।

(3) **संचालन में शिथिलता का भय** (Fear of Slackness in Direction)—साझेदारी में साधारणतया समस्त साझेदारों को व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार होता है, अत: जब तक साझेदारों में कार्य का उचित विभाजन न हो जाय, साझेदारी का कार्य कुशलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता और पग-पग पर कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं।

(4) **शीघ्र निर्णय का अभाव** (Lack of Quick Decision)—साझेदारों में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अर्थात् सभी कार्यों के लिए प्रत्येक साझेदार का परामर्श आवश्यक होता है। अत: कभी-कभी इस कार्य में इतना अधिक विलम्ब हो जाता है कि आया हुआ लाभ का सुअवसर हाथ से निकल जाता है। इस सम्बन्ध में अंग्रेजी की यह कहावत चरितार्थ होती है—"Two many cooks may spoil the business broth." (अत्यधिक रसोइये व्यवसाय के रस को खराब कर सकते हैं।)

(5) **आपसी फूट का दुष्परिणाम** (Consequense of Mutual Conflict)—आपसी फूट होने की दशा में कोई भी साझेदार व्यवसाय सम्बन्धी गुप्त तथ्यों को अन्य पक्षों के सामने प्रकट कर सकता है। ऐसा करने से व्यवसाय को क्षति पहुँचने की आशंका रहती है। इस सम्बन्ध में 'घर का भेदी लंका ढावे' वाली कहावत चरितार्थ हो सकती है।

निष्कर्ष—साझेदारी के लाभ-दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि साझेदारी उस दशा में सर्वश्रेष्ठ है जबकि व्यवसाय का आकार मध्यम श्रेणी का हो तथा साझेदारों में परस्पर सहकारिता एवं सद्भावना विद्यमान हो।

अवैध साझेदारी
(ILLEGAL PARTNERSHIP)

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम (Indian Contract Act) **की धारा 23** के अनुसार, "कोई भी साझेदारी जो किसी अवैधानिक व्यवसाय के लिए स्थापित की गई हो अथवा जिसका उद्देश्य गैर-कानूनी हो, व्यर्थ (Void) होती है।" इस प्रकार की कोई भी साझेदारी निम्न परिस्थितियों में अवैधानिक होती है—

(1) जिसके निर्माण का उद्देश्य अवैधानिक हो।

(2) जिसका व्यवसाय जन-नीति (Public-Policy) अथवा अन्तर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो।

(3) जिस साझेदारी में विदेशी शत्रु-राष्ट्र का व्यक्ति साझेदार हो।

(4) साधारण व्यवसाय की दशा में 20 और बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की संख्या 10 से अधिक हो।